व्यापार कर विभाग
उत्तर प्रदेश

[रिटर्न व कर निर्धारण]

रिटर्न व कर निर्धारण

प्र0 1- नक्शा दाखिल करने का प्राविधान किस धारा व नियम में किया गया है ?

उ0- नक्शा दाखिल करने का प्राविधान प्रस्तावित वैट अधिनियम की धारा-24 व प्रस्तावित वैट नियमावली के नियम-44 में किया गया है।

प्र0 2- टैक्स पीरियड क्या होता है ?

उ0- जैसे व्यापार कर या बिक्री कर व्यवस्था में बिक्री के मासिक, त्रैमासिक अवधि के नक्शे दाखिल किये जाते हैं और कर जमा किया जाता है उसी प्रकार वैट प्रणाली में भी मासिक या त्रैमासिक बिक्री के नक्शे व कर जमा करने होंगे। नक्शे दाखिल करने की अवधि को ही टैक्स पीरियड कहा जाता है।

प्र0 3- वैट में क्या सभी व्यापारियों के लिए एक ही टैक्स पीरियड रहेगा ?

उ0- नहीं, एक करोड़ से अधिक सालाना सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड मासिक होगा व 25 लाख से एक करोड तक के सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड त्रैमासिक होगा परन्तु उन्हें कर मासिक रूप से जमा करना होगा तथा 5 लाख से 25 लाख के बीच सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों के लिए टैक्स पीरियड त्रैमासिक होगा तथा उन्हें त्रैमासिक नक्शा व कर जमा करना होगा। जो व्यापारी माह की किसी तिथि से व्यापार प्रारंभ करते हैं उनके लिए प्रथम टैक्स पीरियड उस माह का अवशेष भाग होगा और उसके पश्चात प्रत्येक कैलेण्डर माह ही उनका टैक्स पीरियड होगा।

प्र0 4- टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सकल विक्रय धन में क्या-क्या धनराशि शामिल की जाएगी?

उ0- टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सकल विक्रय धन में निम्न धनराशियां शामिल की जाएंगी :-

- धारा-5 के अंतर्गत करयोग्य क्रय धन।
- धारा-5 में करयोग्य वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार की बिक्री। (प्रांत के अंदर की गयी बिक्री,केंद्रीय बिक्री और निर्यात व आयात के दौरान की गयी बिक्री शामिल होगी।)
- फ्री वितरित की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य, दान दी गयी वस्तुओं का मूल्य, चोरी हुई वस्तुओं का मूल्य, खोई/नष्ट हुई वस्तुओं का मूल्य।
- उत्तर प्रदेश के बाहर बिक्री से भिन्न रीति से बिक्री हेतु भेजे गये माल का मूल्य।
- कैपिटल गुड्स का खरीद मूल्य।
  - नोट - उपरोक्त पांचों प्रकार के संव्यवहारों के मूल्य को जोड़ने पर जो धनराशि प्राप्त होगी टैक्स पीरियड निर्धारित करने हेतु उसे ही सकल विक्रय धन का आधार माना जाएगा।

प्र0 5- यदि किसी व्यापारी का व्यापार किसी माह में बन्द हो जाता है तो उसके लिए अंतिम टैक्स पीरियड क्या होगा?

उ0- जिस माह / त्रैमास में व्यापार बन्द होगा वही माह / त्रैमास व्यापारी का अंतिम टैक्स पीरियड होगा अर्थात माह / त्रैमास की प्रथम तारीख से प्रारम्भ होकर व्यापार बन्दी की तिथि तक अंतिम टैक्स पीरियड होगा।

प्र0 6- टैक्स रिटर्न किस तारीख तक दाखिल करना पड़ेगा ?

उ0- प्रत्येक टैक्स पीरियड समाप्त होने के पश्चात बीस दिन के भीतर टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा । एक करोड तक सकल विक्रय धन वाले व्यापारियों को प्रत्येक माह की समाप्ति के बीस दिन में कर जमा करना होगा तथा शेष व्यापारी को त्रैमास समाप्ति के 20 दिन के भीतर नक्शा जमा करना होगा ।

प्र0 7- क्या नक्शा दाखिल करने के पहले कर भी जमा करना पड़ेगा ?

उ0- हां, नेट टैक्स जमा करना पड़ेगा ।

प्र0 8- नेट टैक्स क्या होता है ?

उ0- नेट टैक्स को धारा-15 में प्राविधानित किया गया है । किसी टैक्स पीरियड में व्यापारी पर कर का जो दायित्व बनता है उसमें से देय इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के पश्चात जो धनराशि बचती है उसे नेट टैक्स कहते हैं। जैसे एक व्यापारी ने एक माह में एक लाख रूपए का फुटवियर खरीदा जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 12500/- कर दिया है । इस फुटवियर की बिक्री रू0 140000/- में की गयी जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से रू0 17500/- कर बनता है । इस प्रकार नेट टैक्स रू0 17500 - रू0 12500 = रू0 5000 होगा । यही कर टैक्स रिटर्न के साथ जमा होगा ।

प्र0 9- जिन व्यापारियों का विक्रय धन रू0 25 लाख से अधिक व एक करोड़ से कम है उन्हें मासिक कर अनुमान से जमा करना होगा अथवा वास्तविक गणना करके जमा करना होगा?

उ0- नेट टैक्स की वास्तविक गणना करके कर जमा किया जाएगा।

प्र0 10- क्या टैक्स रिटर्न के साथ खरीद बिक्री की सूची दाखिल करना आवश्यक है ?

उ0- हां । टैक्स इनवाइस से खरीद व टैक्स इनवाइस से की गयी बिक्री की सूची दाखिल करना होगा ।

प्र0 11- खरीद-बिक्री की सूची में क्या-क्या सूचनाएं दी जानी होंगी ?

उ0- खरीद की सूची में निम्न सूचनाएं दी जानी होंगी :-

1. विक्रेता व्यापारी का नाम व पता जिससे माल खरीदा गया ।
2. विक्रेता व्यापारी का टिन नंबर ।
3. टैक्स इनवाइस नंबर / दिनांक ।
4. माल का विवरण ।
5. करयोग्य मूल्य ।
6. कर की धनराशि ।
7. योग ।

बिक्री की सूची में निम्न सूचनाएं दी जानी होंगी :-

1. क्रेता व्यापारी का नाम व पता जिसे माह बेचा ।
2. क्रेता व्यापारी का टिन नंबर यदि हो तो ।
3. टैक्स इनवाइस नंबर / दिनांक ।
4. माल का विवरण ।
5. माल का करयोग्य मूल्य ।
6. कर की धनराशि ।
7. योग ।

प्र0 12- क्या अपंजीकृत को की गयी करयोग्य माल की बिक्री की सूची भी देनी होगी, यदि हां तो उसका प्रारूप क्या होगा ?

उ0- नहीं ।

प्र0 13- क्या व्यापारी का वार्षिक नक्शा दाखिल करना होगा, यदि हां तो कब तक?

उ0- हां । करनिर्धारण वर्ष समाप्त होने के बाद पड़ने वाले अक्टूबर की अंतिम तिथि तक वार्षिक रिटर्न देना होगा।

प्र0 14- क्या उपरोक्त अवधि बढाई जा सकती है ?

उ0- हां, समुचित कारण होने पर उक्त अवधि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है अर्थात जनवरी तक दाखिल किया जा सकता है।

प्र0 15- यदि एक से अधिक व्यापार स्थल हैं तो क्या सभी स्थलों का नक्शा एक साथ दाखिल करना होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 16- यदि किसी व्यापारी का किसी टैक्स पीरियड का टैक्स रिटर्न समय से तैयार नहीं हो पाता है तो क्या उसके लिए समय बढ़ाया जा सकता है ?

उ0- हां, प्रार्थना पत्र देने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित कारण होने पर समय बढ़ाया जा सकता है ।

प्र0 17- यदि किसी टैक्स पीरियड के टैक्स रिटर्न में यदि गलत आंकड़े दे दिये जाते हैं तो क्या उसका संशोधन हो सकता है तथा कब तक ?

उ0- हां, अगले टैक्स पीरियड का रिटर्न जमा करने की निर्धारित अवधि तक नक्शे में संशोधन किया जा सकता है।

प्र0 18- यदि नक्शा संशोधित करने पर कर की धनराशि में परिवर्तन होता है तो उसकी जमा या वापसी किस प्रकार की जाएगी और उस पर ब्याज की क्या स्थिति होगी ?

उ0- यदि टैक्स रिटर्न संशोधित करने पर कर की धनराशि अधिक हो जाती है तो ब्याज सहित संशोधित नक्शे के साथ चालान जमा करना पड़ेगा और यदि कर की धनराशि कम होती है तो अधिक जमा धनराशि अगले टैक्स रिटर्न के साथ समायोजित कर दी जाएगी ।

प्र0 19- यदि खरीद या बिक्री किया गया माल 6 माह में वापस हो जाता है तो क्या उसके लिए टैक्स रिटर्न को संशोधित करना होगा ?

उ0- हां, जिस माह में बिक्री हुई है उस माह का रिटर्न संशोधित करना होगा और संशोधित रिटर्न वापसी के 30 दिन के भीतर अगले माह में दाखिल किया जा सकता है, बशर्ते उस वर्ष का अंतिम करनिर्धारण अवशेष है ।

प्र0 20- वापसी कब तक अनुमन्य है ?

उ0- बिक्री की तारीख से 6 माह तक माल की वापसी अनुमन्य है।

प्र0 21- किसी टैक्स पीरियड का नक्शा न दिया जाए तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

उ0- नक्शा न दाखिल करने पर अस्थायी करनिर्धारण की कार्यवाही धारा-25 में की जाएगी ।

प्र0 22- किसी टैक्स पीरियड का टैक्स रिटर्न तो दाखिल कर दिया परन्तु आंकड़े गलत दे दिये गये हैं और सही कर नहीं दिया गया है तो विभाग क्या करेगा ?

उ0- उस टैक्स पीरियड का अस्थायी करनिर्धारण किया जाएगा ।

प्र0 23- क्या अस्थायी करनिर्धारण से पहले व्यापारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा?

उ0- हां ।

प्र0 24- अस्थायी करनिर्धारण कब तक किया जा सकता है?

उ0- जब तक व्यापारी वार्षिक रिटर्न फार्म दाखिल नहीं कर देता।

प्र0 25- क्या सभी व्यापारियों का स्वत: करनिर्धारण हो जाएगा?

उ0- हां, जो व्यापारी सभी टैक्स रिटर्न व वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगे और उसमें कोई गलत तथ्य नहीं हैं तो उनका वाद स्वत: हो जाएगा।

प्र0 26- क्या कोई अलग से आदेश जारी होगा?

उ0- नहीं। वार्षिक रिटर्न ही अंतिम आदेश माना जाएगा और जो विक्रय धन, स्वीकृत कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित है वही विक्रय धन, निर्धारित कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाएगा।

प्र0 27- क्या कुछ व्यापारियो के वादों में लेखे जांच पड़ताल करके करनिर्धारण आदेश पारित होगा ?

उ0- जिन व्यापारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य होगा उनका करनिर्धारण लेखा बहियां देख करके किया जाएगा।

प्र0 28- क्या किसी अन्य वाद का भी करनिर्धारण होगा ?

उ0- हां, कमिश्नर द्वारा या उनके द्वारा नामित ज्वाइन्ट कमिश्नर के द्वारा चयनित वादों का अंतिम करनिर्धारण लेखा बहियां देख करके होगा।

प्र0 29- टैक्स ऑडिट क्या होता है ?

उ0- जब किसी व्यापारी का रिटर्न व वार्षिक रिटर्न दाखिल हो जाता है तो कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अधिकृत ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा लेखे जांच पड़ताल करके आदेश पारित करने के लिए वाद चयन करता है तो जांच पडताल व्यापार

स्थल पर जा करके किये जाने के बाद आदेश पारित होने की प्रक्रिया को टैक्स ऑडिट कहते हैं ।

प्र0 30- स्वत: करनिर्धारण में जब दाखिल वार्षिक रिटर्न ही आदेश माना जाएगा और अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगा तो आदेश का दिनांक क्या माना जाएगा ?

उ0- जिस वर्ष में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए तिथि निर्धारित होती है उसके अगले करनिर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि को करनिर्धारण आदेश की तिथि माना जाएगा ।

प्र0 31- कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अधिकृत ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा चयनित वादों के अलावा और किसी प्रकार के वादों में लेखा बहियों की जांच करके आदेश पारित होगा यदि हां तो किस प्रकार के ?

उ0- हां, निम्न प्रकार के वादों का भी अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित करके किया जाएगा :-

1. जो व्यापारी वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं ।
2. जो व्यापारी एक या कई टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं देंगे ।
3. जिस वादों में अस्थायी करनिर्धारण आदेश पारित किया गया हो ।
4. जिन मामलों में नक्शा गलत दिया गया, पूरा कर नहीं दिया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया गया है ।
5. जो व्यापारी सर्वे, ऑडिट, निरीक्षण का विरोध करे या बाधा डाले ।
6. जिन मामलों में बहती पास नहीं करायी गयी हो ।

प्र0 32- यदि जांच पर सब सही पाया जाता है तो क्या तब भी कोई आदेश पारित होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 33- यदि जांच पर आंकड़े सही नहीं पाये जाते हैं तो क्या व्यापारी को कमियों के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी?

उ0- हां ।

प्र0 34- कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने पर क्या एकपक्षीय आदेश पारित होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 35- क्या अस्थायी करनिर्धारण आदेश की मांग अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित करने पर बनी रहेगी ?

उ0- नहीं, अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित होने पर अस्थायी करनिर्धारण की मांग अंतिम करनिर्धारण आदेश की मांग में समाहित हो जाएगी ।

प्र0 36- जो व्यापारी पंजीकृत नहीं हैं और प्रान्त के बाहर से माल आयात करते हैं उनका भी करनिर्धारण होगा ?

उ0- हां ।

प्र0 37- अपंजीकृत व्यापारी को माल का अभिग्रहण किया जाए और अर्थदण्ड आरोपित हो जाता है तो क्या उसका भी करनिर्धारण होगा ?

उ0- यदि अर्थदण्ड लग गया है तो अंतिम करनिर्धरण नहीं पारित किया जाएगा । यह प्राविधान धारा-48(7) के प्रोविजो में किया गया है ।

प्र0 38- कितने समय मे अंतिम करनिर्धारण आदेश पारित किया जा सकता है ?

उ0- वर्ष समाप्ति के तीन वर्ष में।

प्र0 39- एकपक्षीय आदेश पुनः खोल करके कब तक पुनः करनिर्धारण किया जा सकता है ?

उ0- यदि आदेश 30 सितम्बर के पहले खोला गया है तो 31 मार्च तक और उसके बाद खोला गया है तो अगले वर्ष 30 सितम्बर तक पुर्नकरनिर्धारण किया जा सकता है।

प्र0 40- एकपक्षीय आदेश कितनी बार खोल करके पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है ?

उ0- चाहे जितनी बार। एकपक्षीय आदेश किया जाए और खोला जाए परन्तु समय सीमा प्रथम बार खोलने की तिथि से लागू होगा।

***